न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—488/2016/223 (2016/00488)

1. श्रीमती धापू पुत्री स्व0 गोदसिंह पत्नि जसवन्तसिंह, जाति रावत, निवासी गांव गोहाना, हाल निवासी सोनीयाना, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
2. श्रीमती हंजा बाई पुत्री स्व0 गोदसिंह पत्नि दल्लासिंह, जाति रावत, नि0 गांव गोहाना, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांट संख्या 1 व 2 बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 गोदसिंह वल्द रूपसिंह जाति रावत, निवासी गांव गोहाना तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

3. तेजसिंह पुत्र मानसिंह व उजीरी पुत्री स्व0 गोदसिंह,
4. लालसिंह पुत्र मानसिंह व उजीरी पुत्री स्व0 गोदसिंह,

अपीलांट संख्या 3 व 4 बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 श्रीमती उजीरी पुत्री स्व0 गोदसिंह पत्नि मानसिंह, निवासी सोनीयाना, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती भंवरी पत्नि दोलसिंह, जाति रावत,
2. पप्पूसिंह वल्द दोलसिंह, जाति रावत,

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद दोलसिंह वल्द गोदसिंह वल्द रूपसिंह, जाति रावत, निवासी गोहाना, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

3. जयसिंह वल्द प्रेमसिंह,
4. केलसिंह वल्द प्रेमसिंह,
5. रघुवीरसिंह वल्द प्रेमसिंह,
6. श्रीमती गोरी पत्नि प्रेमसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी गांव गोहाना, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर।

7. श्रीमती सोहनी पुत्री प्रेमसिंह पत्नि आनन्दसिंह, जाति रावत, निवासी गांव अमरपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. श्रीमती गंगा पुत्री प्रेमसिंह पत्नि कल्याणसिंह, जाति रावत, निवासी गांव डुंगरखेडा, तह0 भीम जिला राजसमन्द ।
9. श्रीमती कमला पुत्री प्रेमसिंह पत्नि भगवानसिंह, जाति रावत, निवासी गांव अमरपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पो0 संख्या 3 से 9 बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद प्रेमसिंह वल्द गोदसिंह वल्द रूपसिंह, जाति रावत, निवासी गांव गोहाना, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

10. छोगसिंह वल्द पूनमसिंह, जाति रावत, निवासी गांव गोहाना, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, ब्यावर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार एवं उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 26.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 54/2013 .</u>

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचन्द गदिया, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 10 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 व 12.

निर्णय

दिनांकः— 3.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 189, 191, 407, 429, 721, 726, 810, 811, 815, 851, 854, 973, 985, 986, 1380, 1430, 1431, 1432, 723, 184, 371, 140 वाके ग्राम गोहाना, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादी संख्य 1 से 9 के पूर्वज गोदसिंह वल्द रूपा, जाति रावत निवासी गांव गोहाना थे इसी कारण उनका नाम राजस्व जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में उनका नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित रहा । उपरोक्त खसरा नंबरान के नये खसरा नंबर 270, 497, 549, 550, 569, 982/1, 1094, 1095, 1103, 1165, 1166, 1176, 1874, 1875, 1876, 1920 बने है जिनका कुल रकबा 18—14—10 बीघा है । उपरोक्त वादग्रस्त भूमि जब तक वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के पूर्वज जीवित रहे तब तक उन्हीं का कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के पिता व पति दोलसिंह व व प्रेमसिंह का संयुक्त रूप से रहा । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के पिता व पति दोलसिंह व प्रेमसिंह सहित अन्य सभी को जानकारी है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के पिता व पति का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है व वादीगण भी गोदसिंह की पुत्रियां है । किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के पूर्वज दोलसिंह व प्रेमसिंह ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से से मिलकर आपस में साजिश कर बिना किसी आदेश के उक्त वादग्रस्त भूमियों गलत व गैर कानूनी रूप से अपने नाम अंकित करवा ली जबकि दोलसिंह व प्रेमसिंह को यह भलीभांति जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है व वादीगण का भी इन भूमियों में हक, हिस्सा, स्वत्व व कब्जा है । प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पूर्वज ने वादग्रस्त आराजी में से खसरा नंबर 549 रकबा 2 बीघा व आराजी खसरा संख्या 550 रकबा 1—19—10 को गलत व गैरकानूनी रूप से व बिना अधिकार प्रतिवादी संख्या 10 छोगसिंह को बेचान कर दी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व इनके पति व पिता दोलसिंह को को यह भली—भांति जानकारी थी कि उन्हें वादीगण के हक व हिस्से की आराजियात बैचान करने का कोई हक व अधिकार नहीं था । प्रतिवादी संख्या 10 छोगसिंह न केवल वादीगण की ही जाति का है बल्कि गांव गोहाना का निवासी है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का निकट का रिश्तेदार है जिसे भी यह जानकारी थी कि स्व0 गोदसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी तीन पुत्रियां व उसके परिवारजन वादीगण मौजूद है व प्रतिवादी

संख्या 1 से 2 व इनके पूर्वज को आराजी खसरा नंबर 549 व 550 की भूमि का 1/2 हिस्सा बेचान करने या अन्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है इसके बावजूद बेचाननामा के आधार पर खसरा नंबर 549 व 550 का नामांतकरण अपने नाम खुलवा लिया जो सर्वथा गलत गैरकानूनी होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन खातदोर गोदसिंह वल्द रूपसिंह की मृत्यु के पश्चात् वादीगण उनकी पुत्रियां व उत्तराधिकारी होने के कारण राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के साथ अपना 3/5 हिस्सा का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित कराने की अधिकारी है व साथ ही यह भी घोषित किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 या इनके पति व पिता दोलसिंह ने आराजी खसरा नंबर 549 व 550 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 को जो बेचान किया है वह बिना अधिकार, गलत व गैर कानूनी रूप से किया गया है उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 10 के नाम खोला गया नामांतकरण वादीगण के हक हिस्से तक सर्वथा अवैध व शून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 4 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 26.5.2016 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष जब पत्रावली तलबी प्रतिवादी संख्या 7 से 9 में चल रही थी तो अधी0न्याया0 को सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 7 से 9 की तलबी पूर्ण कर उन्हें प्रतिवाद पत्र का अवसर देकर तथा तनकियात कायम कर, पक्षकारान की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर, अंतिम बहस सुनने के उपरांत ही गुणागवुण पर प्रकरण को निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने मूल वाद राजस्व कैम्प गोहाना में बिना वादीगण को सूचित किये व सुने रखकर केवल मात्र राजस्व कैम्पों में फैसले करने की संख्या बढ़ाने की गरज से वाद को गुणावगुण पर निर्णित न कर केवल मात्र किसी कैलाशसिंह वार्ड पंच से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 लेकर इस आधार पर खारिज कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत में पिता की मृत्यु के बाद पुत्रियों का कोई हक व हिस्सा व अधिकार होना नहीं माना गया है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायिक दृष्टांत में ऐसा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । इसी कारण से अधी0न्याया0 ने कथित सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है उसका अंकन तक निर्णय में नहीं किया है, जबकि विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 इस बाबत् स्पष्ट है कि पिता की मृत्यु के बाद परिशिष्ट 1 में पत्नि, पुत्री पुत्र को उत्तराधिकार में समान सम्पति प्राप्त होती है, इस सामान्य विधि को भी अधी0न्याया0 ने अनदेखी कर भारी भूल की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट में पेश किये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की प्रति वादीगण को उपलब्ध कराये बिना व जवाब का अवसर दिये बिना तथा वादीगण को सुने बिना विधिक प्रावधानों का पठन किये बिना बिना

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । लोक अदालत की भावना से केवल मात्र वे ही प्रकरण तय किये जा सकते है जिनमें पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति अथवा राजीनामा हो गया हो जबकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारानों के मध्य कोई आपसी सहमति नहीं था ना ही कोई राजीनामा पेश किया गया है । जिस व्यक्ति कैलाशसिंह ने आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 मय शपथ पत्र पेश किया है व हस्ताक्षर किये है वह कैलाशसिंह है जबकि वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 4 केलसिंह है एवं ग्राम पंचायत गोहाना की सरपंच द्वारा प्रमाणित सजरा दिनांक 28.2.2013 में प्रेमसिंह का पुत्र केलसिंह अंकित है एवं कथित कैलाशसिंह को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं था विशेषतया जबकि उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी थी एवं जब तक एकतरफा कार्यवाही अपास्त नहीं करवा ली जाती उसे आवेदन पत्र पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना आनन–फानन में वाद को खारिज किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाकर समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने के निर्देश प्रदान किये जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 व 12 ने कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार फोर्मल पक्षकार है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित होगा

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के पूर्वज गोदसिंह वल्द रूपा जाति रावत निवासी गोहाना थे । गोदसिंह की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के पिता व पति दोलसिंह व प्रेमसिंह का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है । वादीगण गोदसिंह की पुत्रियां है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के पूर्वज दोलसिंह व प्रेमसिंह ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों व सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर आपस में साजिश रच कर बिना किसी आदेश के उक्त वादग्रस्त भूमि गलत व गैर कानूनी रूप से अपने नाम अंकित करवा ली जबकि दोलसिंह व प्रेमसिंह को यह भली–भांति जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है व वादीगण का भी इन भूमियों हक, हिस्सा व स्वत्व व कब्जा है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को तत्कालीन खातेदार गोदसिंह वल्द रूपसिंह की मृत्यु के पश्चात् वादीगण उनकी पुत्रियां व उत्तराधिकारी होने के कारण उन्हें भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के साथ अपना 3/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त वाद दिनांक 15.5.2013 को पेश होने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 25.11.2013 में यह अंकित है कि " प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 6 के सम्मन स्वंय द्वारा, 3, 5, 7 से 9 के सम्मन मां द्वारा तथा प्रतिवादी संख्या 10 के हाजिर नहीं रहने तथा घर के सदस्यों ने लेने से इंकार व दो गवाह के हस्ताक्षर मौजूद नहीं की रिपोर्ट सम्मन पर प्राप्त होने का अंकन है । " दिनांक 25.3.2014 की आदेशिका के अनुसार

प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 6 के विरूद्ध बावजूद सम्मन तामीली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 3, 5, 7 से 10 के सम्मन तलवाना पेश करने के आदेश दिये गये है । आगामी पेशी दिनांक 14.7.2014 को वादीगण ने प्रवितादी संख्या 3, 5, 7 से 10 के सम्मन तलवाना पेश किये । आदेशिका दिनांक 26.8.2014 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन पुत्र द्वारा तामील हुआ, प्रतिवादी संख्या 5 व 10 के सम्मन पर अप्रार्थी के हाजिर रहने के बावजूद लेने से इंकार व गवाह के हस्ताक्षर मौजूद, प्रतिवादी संख्या 7 व 9 के सम्मन पर मौके पर अप्रार्थी हाजिर नहीं घरवालों ने लेने से इंकार तथा प्रतिवादी संख्या 8 का सम्मन तहसील भीम का होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.2.2015 को प्रतिवादी संख्या 3 तथा 5 व 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 25.3.2014 के बाद स`अब तक अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही की गई है। इसके उपरांत वादीगण द्वारा दिनांक 20.4.2015 को प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के सम्मन तलवाना पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.4.2015 को सम्मने जारी करने के आदेश दिये है । उक्त सम्मन अदम तामील प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.12.2015 को रजिस्टर्ड ए0डी0सम्मन तलवाना पेश करने के निर्देश वादीगण को दिये जिस पर वादीगण ने दिनांक 22.2.2016 को रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मन पेश किये जिसे जारी करने के आदेश देकर पत्रावली दिनांक 9.5.2016 को नियत की गई । दिनांक 9.5.2016 को पत्रावली को कैम्प कोर्ट गोहाना में रखे जाने के आदेश पारित कर पक्षकारान को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये । इसके पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 26.5.2015 को पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश होने पर कैम्प कोर्ट में प्रतिवादी संख्या 4 कैलसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश होने पर अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खारिज किया है । अधी0न्याया0 की उपरोक्त आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि पत्रावली प्रतिवादी संख्या 7 से 9 की तलबी में शेष होने से पत्रावली अंतिम बहस हेतु पूर्ण नहीं थी । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 4 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये थे । इस कारण प्रतिवादी संख्या 4 को अपने विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराये बिना पत्रावली में किसी प्रकार का आवेदन पत्र पेश करने का विधिक अधिकार नहीं था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 26.5.2016 को कैम्प कार्ट गोहाना में उपस्थित होकर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी प्रति भी वादीगण को दी जाकर जवाब का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर केवल मात्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के आधार पर वाद खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र की प्रति वादीगण को दिलवाई जाकर जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा नहीं कर वाद को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा वाद संख्या 54/2013 बउनवान श्रीमती धापू बनाम श्रीमती भंवरी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 26.5.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादीगण/अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर